प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

रिट याचिका कं. 4831/2020

1. डॉ. प्रभाकर सिंह पिता स्वर्गीय श्री बी. सिंह,

उम्र लगभग 57 वर्ष निवासी – मकान नं. 200,

मेट्रोग्रीन कॉलोनी, भवन स्कूल के सामने, सड्डू,

रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

–वादी/याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ भासन की ओर से सचिव, कृषि विभाग

विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी,

महानदी भवन, मंत्रालय, राजधानी परिसर, अटल नगर,

नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. कृषि उत्पादन आयुक्त कृषि विभाग, महानदी

भवन, मंत्रालय, राजधानी परिसर, अटल नगर,

नवा रायपुर, जिला एवं रायपुर (छत्तीसगढ़)–

3. निदेशक, उद्यानिकी एवं सामाजिक वानिकी निदेशालय,

इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,

जिला एवं रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से

और इनके रजिस्ट्रार, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,

कृषक नगर, लाभांडी, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) **—प्रतिवादी/उत्तरवादी**

उपस्थिति– वादी/याचिकाकर्ता की ओर से – श्री मनोज पारांजपे, अधिवक्ता।

भासन की ओर से – श्री कुनाल दास, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी/प्रतिवादी क्रं. 04 की ओर से – श्री भा ांक, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी
आदेश

30.09.2021

1. दिनांक 18.02.2020 के दण्ड आदेश (अनुलग्नक पी–2) और दिनांक 19.08.2020 के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विभागीय अपील की अस्वीकृति (अनुलग्नक पी–1) से क्षुब्ध होकर, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। अनुलग्नक पी–2 के अनुसार याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की मामूली सजा दी गई थी और अनुलग्नक पी–1 के अनुसार विभागीय अपील खारिज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता मूल रूप से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में उद्यानिकी विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। वर्ष 2019 में यानी 14.01.2019 को याचिकाकर्ता की सेवाएं राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रखी गई थीं। याचिकाकर्ता 15.01.2019 से 27.05.2020 तक प्रतिनियुक्ति पर रहा। याचिकाकर्ता को 11.06.2020 को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया।

3. जब याचिकाकर्ता राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तो उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कुछ

कथित कमियों के संबंध में याचिकाकर्ता को 12.12.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और जिसके आधार पर यह कहा गया था कि सरकार को नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता ने उक्त कारण बताओ नोटिस में किए गए सभी दावों का खंडन करते हुए एक विस्तृत जवाब दिया, जिसमें विशेष रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा नहीं बल्कि विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा लगाए जाने थे और याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से उन अधिकारियों के नाम बताए थे जो उक्त कार्य के लिए जिम्मेदार थे। आगे कोई प्रारंभिक जांच या विस्तृत विभागीय जांच किए बिना, राज्य अधिकारियों ने अनुलग्नक पी–2 के माध्यम से संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की मामूली सजा दी। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विस्तृत अपील प्रस्तुत की, जिसे भी अनुलग्नक पी–1 के अनुसार खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अनुशासनात्मक कार्रवाई को प्राथमिक चुनौती सबसे पहले इस आधार पर दी गई है कि दंड का आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में, नियम, 1966) के नियम 20 का उल्लंघन है, क्योंकि दंड मूल या ऋण देने वाले विभाग, जो इस मामले में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, के परामर्श के बिना लगाया गया है। दूसरी चुनौती इस आधार पर दी गई है कि जब कारण बताओ नोटिस में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों और

शिकायतों से संबंधित तथ्यात्मक पहलुओं का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है, तो प्रतिवादी/उत्तरवादी अधिकारियों को दंड लगाने से पहले विभागीय जांच करनी चाहिए थी, यदि नहीं, तो कम से कम किसी प्रकार की जांच करनी चाहिए थी, जो इस मामले में फिर से नहीं की गई है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों को पूरा किए बिना प्रतिवादी/उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा सीधे दंड पारित कर दिया गया है।

5. याचिकाकर्ता के वकील ने नियम, 1966 के नियम 20(2) के खंड–(i) का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि यदि ऋण लेने वाला विभाग नियम 10 के खंड–(i) से (iv) में दर्शाए गए किसी भी दंड को लागू करने का इरादा रखता है, तो ऋण लेने वाले विभाग को ऋण देने वाले विभाग से परामर्श करना होगा और ऋण देने वाले विभाग की राय पर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। उक्त नियम में ऋण लेने वाले विभाग और ऋण देने वाले विभाग के बीच मतभेद होने की स्थिति में ऋण लेने वाले विभाग के पास बचे विकल्प का भी प्रावधान है। चूंकि इस मामले में कोई परामर्श नहीं किया गया था, इसलिए इस आधार पर पूरी कार्रवाई गलत/अमान्य हो जाती है।

6. याचिकाकर्ता के वकील ने कारण बताओ नोटिस अनुलग्नक पी–5 और पीन–6 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके अनुसार अनुलग्नक पी–5 के तहत याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अनुलग्नक पी–6 के तहत याचिकाकर्ता का जवाब

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राधिकारियों को सौंपा गया था, जबकि अनुलग्नक पी–6 में याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित शिकायतों के संबंध में विशिष्ट विवरण देते हुए कारण बताओ नोटिस में की गई शिकायत के संपूर्ण तथ्यात्मक आधार का स्पष्ट खंडन किया गया है। इसके साथ ही इस तथ्य को भी जोड़ा गया है कि उत्तर में ही याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वह उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। यह वास्तव में विभाग में किसी अन्य प्राधिकारी की जिम्मेदारी थी और ये ऐसे तथ्य हैं जिनका पता नहीं लगाया गया, चर्चा नहीं की गई या जुर्माना अनुलग्नक पी–2 लगाते समय निपटारा नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के तर्क के अनुसार नियम 1966 के नियम 20 के उपनियम 2 के खंड (i) के तहत आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है। ऋण विभाग द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है, जिन्होंने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि दंड ऋण विभाग के परामर्श के बिना लगाया गया है। इस तथ्य को राज्य अधिकारियों द्वारा भी उनके उत्तर में विवादित नहीं किया गया है क्योंकि कोई खंडन नहीं है।

8. तर्क के समुचित मूल्यांकन के लिए, नियम की वर्तमान स्थिति का संदर्भ लेना भी प्रासंगिक होगा और इसके लिए नियम 20 के उप–नियम 2 के खंड– (i) और उसमें उल्लिखित परंतुक को नीचे पुनरूद्धृत किया जाता हैः–

"(2) सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्राप्त निष्कर्षों के आलोक में,

(i) यदि ऋण लेने वाले प्राधिकारी की राय है कि नियम 10 के खंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट कोई भी दंड सरकारी कर्मचारी पर लगाया जाना चाहिए, तो वह ऋण देने वाले प्राधिकारी के साथ परामर्श करने के बाद मामले पर ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह आवश्यक समझेः

बशर्ते कि ऋण लेने वाले प्राधिकारी और ऋण देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद की स्थिति में, सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को ऋण देने वाले प्राधिकारी के अधीन प्रतिस्थापित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना इस समय प्रासंगिक होगा। बी.एल. सत्यार्थी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2015(1) एमपीएलजे के मामले में, जहां नियम 20 के तहत शक्तियों से निपटा गया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा किए गए बिंदुओं में से एक वह आपत्ति थी जिसे याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में उठाया है। पैराग्राफ 12 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नियम 20 के तहत अन्य मुद्दों का उल्लेख करने के बाद, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की आपत्ति के संबंध में, निम्नानुसार माना है–

"12.....उपर्युक्त के अतिरिक्त नियम 20(2) तथा नियम 20(2) (i) तथा (iii) के परन्तुक का अवलोकन भी स्थिति को स्पष्ट करता है। ऋण लेने

वाले विभाग द्वारा शुरू की गई विभागीय कार्यवाही पूरी होने तथा जांच का निष्कर्ष दर्ज होने के पश्चात, निष्कर्ष के आलोक में यदि ऋण लेने वाला विभाग नियम 10 के खण्ड (i) से (iv) में निर्दिष्ट कोई दण्ड लगाना चाहता है तो ऋण देने वाले विभाग से परामर्श के पश्चात दण्ड लगाया जा सकता है। तथापि, नियम 20(2) (i) के परन्तुक में यह दर्शाया गया है कि यदि ऋण लेने वाले विभाग तथा ऋण देने वाले विभाग के बीच कोई मतभेद है तो कर्मचारी की सेवा ऋण देने वाले विभाग के अधीन प्रतिस्थापित की जानी है....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त नियम की स्थिति को स्पष्ट रूप से पढ़ने से तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय से यह स्थापित होता है कि जब कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर था और विभाग प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहता था, तो दंड लगाने से पहले परामर्श अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था। इस मामले में प्रतिवादियों में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत उत्तर की दलीलों से यह स्थापित होता है कि दंड आदेश पारित किए जाने से पहले ऐसा कोई परामर्श नहीं किया गया था।

11. इसके मद्देनजर, सजा का विवादित आदेश कानून की नजर में लगाए जाने योग्य नहीं है और यह नियम, 1966 के नियम 20 के उपनियम 2 के खंड (i) का उल्लंघन है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

12. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दूसरे आधार के संबंध में, इस समय यह भी प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण बताओ नोटिस अनुलग्नक पी–6 के उत्तर पर ध्यान दिया जाए और जिसे फिर से आसान संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए प्रत्येक आरोप के संबंध में दिए गए स्पष्ट खंडन और स्पष्टीकरण को बेहतर ढंग से समझा जा सके–

उद्यानिकी फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कियान्वयन के संबंध में विभागीय पत्र कमांक 5143 दिनांक 17.09. 2019 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 05.10. 2019 द्वारा आपको प्रस्ताव भेजने हेतु लेख किये जाने के	● संचालनालय में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का कार्य श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर संचालक, उद्यान, तोषण चन्द्राकर वरिष्ट उ़द्यान विकास अधिकारी एवं श्री सौरव पटेल ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी को आबंटित है तथा छ.ग. शासन कृषि विभाग के आदेश कमांक 8950/एफ–08/89/WBCIS/16–17/14–2 दिनांक 05.05.2016 द्वारा मौसम आधारित समय–सीमा में नहीं किये जाने के संबंध में श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर संचालक उद्यान से प्राप्त स्पष्टीकरण के अपर संचालक उद्यान ने लेख किया है कि, सितंबर, 2019 को आयोजित केता–विकेता सम्मेलन के आयोजन में पूरे माह व्यस्त होने तथा अपर्याप्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बावजूद लगभग 2 माह व्यतीत होने के उपरांत विभाग को राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।	अधिकारी/तकनीकी अमले एवं कार्य की अधिकता के परिणाम स्वरूप राज्य स्तरीय फसल बीमा समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने में अवांछित विलंब हुआ (छायाप्रति संलग्न)। ● फसल बीमा शाखा में कार्यों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त कुशल मानव संसाधन नियुक्त करने हेतु शासन को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 1568 दिनांक 12.06.2019 पत्र क्रमांक 3032 दिनांक 29.07.2019 एवं पत्र क्रमांक 3513 दिनांक 23.08.2019 द्वारा अनुरोध भी किया गया है। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।
आपको ज्ञात है कि रबी मौसम माह अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है। योजना के सूचारू क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में क्रियान्वयन से	● समय सीमा में योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु भरसक प्रयास किया गया है, इस हेतु राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक दिनांक 13.11.2019 में अनुमोदन उपरांत बीमा कंपनी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना दिनांक 14.11.2019 को प्रकाशित की गयी। ● पूर्व मे रबी 2016 में 20.12.2016 को, रबी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित गतिविधियों हेतु मौसमवार समय–सीमा निर्धारित है। मौसम प्रारंभ होने के पूर्व ही फसल बीमा कियान्वित करने के लिए समुचित कार्यवाही किया जाना चाहिये था, परंतु आपके लापरवाहीपूर्वक विलंब से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण अल्प समय की निविदा सूचना (बीमा कंपनी प्रस्ताव)	2017 में 30.11.2017 को, रबी 2018 में 06.12.2019 को उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु अधिसूचना किया गया था वर्तमान वर्ष रबी 2019 में 07.12.2019 को अधिसूचना जारी की गई है जो उक्त तिथियों के लगभग समान है। ● बीमा हेतु भारत सरकार से सूचीबद्ध सभी 19 बीमा कंपनीयों को ईमेल एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा संबंधित दस्तावेज प्रेषित किये गये तथा दूरभाष पर भी निविदा आमंत्रण की सूचना प्रदान की गयी। निविदा प्रकाशन की सूचना को एक राष्टीय स्तर के समाचार पत्र (मेल टूडे दिनांक 15.12.2019) एवं दो स्थानीय समाचार पत्र (नवभारत दिनांक 15.12.2019 एवं हरिभूमि दिनांक 15.12.19) में प्रकाशित की गयी। संचालनालयीन पत्र क्रमांक 5730 दिनांक 21.11.2019 एवं पत्र क्रमांक 6046 दिनांक 30.11.2019 के माध्यम से संयुक्त सचिव एवं सीईओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार नई दिल्ली को भी सूचीबद्ध समस्त बीमा कंपनियों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आमंत्रित करने के साथ साथ भण्डार क्रय नियम में छूट प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी।	निविदा में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध भी किया गया तथा दिनांक 21.11.2019 को आयोजित साप्ताहिक विडियो कांफ्रसिंग में भी निविदा आमंत्रण की सूचना सभी बीमा कंपनियों के प्रस्ताव को प्रदान की गयी।
विलंब से निविदा आमंत्रित करने के कारण केवल एक कंपनी द्वारा निविदा में भाग लिया गया तथा प्रीमियम दर गतवर्ष की तुलना में लगभग 64.75 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप शासन को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ सकता	● इस प्रकार अल्प समय की निविदा सूचना में अधिक से अधिक कंपनियों के प्रस्ताव सम्मिलित हो सके इस हेतु यथोचित प्रयास किये गये। बीमा कंपनी द्वारा अधिक भारित प्रीमियम दर अंकित करने के निम्न कारण संभावित है– ● **विगत वर्षो में अधिक बीमा दावा राशि का भुगतान–** रबी वर्ष 2016 में कुल प्रीमियम का 27.45 प्रतिशत, खरीफ 2017–18 में 39.04 प्रतिशत, रबी 2017–18 43.57 प्रतिशत, खरीफ 2018–19 में 33.97 प्रतिशत, रबी 2019–19 में 65.99 प्रतिशत राशि, बीमा दावा के रूप में बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को भुगतान किया गया है। ● **बीमा दावा राशि के गणना हेतु उपयोग किये**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है।	**जाने वाले टर्म शीट में परिवर्तन –** वर्तमान में बीमा हेतु जारी की गई निविदा में बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी एवं आलू फसल में ओलावृष्टि से होने वाली संभावित क्षति की राशि को पूर्व वर्षों की तुलना में वृद्धि की गई है। ● वर्ष 2016 रबी मौसम में इस योजना के प्रारंभ के समय भी उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रीमियम दर 24.92 प्रतिशत थी। वर्तमान रबी 2019 में प्राप्त निविदा दर 23.0021, जो कि रबी 2016 में प्राप्त दर से कम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में स्पष्ट रूप से इन्कार किया था और स्पष्ट इन्कार के अलावा विशिष्ट स्पष्टीकरण भी दिया गया था, साथ ही तथ्य यह भी था कि याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोपों के संबंध में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए याचिकाकर्ता वास्तव में जिम्मेदार नहीं था और यह वास्तव में विभाग में अतिरिक्त निदेशक को सौंपा गया था और इस संबंध में एक समिति गठित की गई थी।

14. अब यदि हम अनुलग्नक पी–2 के दंड आदेश पर गौर करें तो, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर और उसके स्पष्टीकरण में उठाए गए विशिष्ट तर्क के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है और प्राधिकारियों ने केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को दोहराया है और दंड का आदेश लागू कर दिया है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओ.के.भारद्वाज बनाम भारत संघ, 2001(9) एस.सी.सी. 180 के मामले में पैराग्राफ 3 में निम्नानुसार निर्णय दिया है–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. जबकि हम उच्च न्यायालय के पहले प्रस्ताव से सहमत हैं, नियम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो स्पष्ट रूप से कहता है कि "संचयी प्रभाव के साथ या उसके बिना वेतन वृद्धि रोकना" एक छोटा दंड है, हम दूसरे प्रस्ताव से सहमत होना संभव नहीं पाते हैं। मामूली दंड के मामले में भी दोषी कर्मचारी को अपनी बात कहने या उसके खिलाफ आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि आरोप तथ्यात्मक हैं और यदि दोषी कर्मचारी द्वारा उनका खंडन किया जाता है, तो जांच भी बुलाई जानी चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की न्यूनतम आवश्यकता है और उक्त आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है।"

16. इसी सिद्धांत को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम लक्ष्मीशंकर प्रसाद, 2002(10)एससीसी 351 के मामले में पैराग्राफ 3 में निम्नानुसार निर्णय दिया है–

''3. ...नई कार्यवाही शुरू होने के बाद, हालांकि दोशी से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन सजा के आदेश से पता चलता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दोशी के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों के बारे में उसके अपराध के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है और न ही दोशी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया है। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर दंड के आदेश में हस्तक्षेप करना पूरी तरह से उचित था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दोशी के अपराध के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है और न ही उसने इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई तर्क दर्ज किया है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. सर्वोच्च न्यायालय के इन दो निर्णयों पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज कपूर सिंह परिहार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2014 मुकदमा 196 के मामले में भरोसा किया जो दिनांक 06.03.2014 को डब्लू. पी. क्रं. 2760/2013 में तय किया गया था, जिसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित आरोपों के संबंध में जांच करने की आवश्यकता की फिर से जांच करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 8 से 10 में निम्नानुसार माना है–

पैरा"8. इस न्यायालय की राय में, चाहे वह नियम 14 के तहत जांच हो या सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत, अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से याचिकाकर्ता के खिलाफ एक विशिष्ट आरोप पत्र जारी करना अनिवार्य है। दोषी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप की प्रकृति के बारे

में पता होना चाहिए। इससे वह अपने बचाव को उचित, पर्याप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकेगा। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया और आरोपों से पूरी तरह इनकार किया। गुण–दोष के आधार पर भी, उन्होंने अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। बेशक, कोई जांच नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के गवाहों की याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जांच नहीं की गई और न ही उन्हें अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। कथित जांच रिपोर्ट, अनुलग्नक पी–16 और पी–17, याचिकाकर्ता की पीठ पीछे एकत्रित कुछ सामग्री पर आधारित रिपोर्ट हैं। इस न्यायालय की राय में, उक्त जांच रिपोर्ट कानून की नजर में नाम के लायक रिपोर्ट नहीं हैं। यह एक सामान्य कानून है कि मामूली दंड कार्यवाही में भी यदि आरोपों से इनकार किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए पूर्ण जांच करना अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (ओ.के. भारद्वाज बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2001 9 एससीसी 180) में लिया गया है। वर्तमान मामले में, नियमों के अनुसार कोई जांच किए बिना और एकपक्षीय जांच रिपोर्ट, अनुलग्नक पी–16 और पी–17 को ध्यान में रखे बिना, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को दंडित करने का इरादा किया। याचिकाकर्ता ने विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने दंड आदेश में हालांकि याचिकाकर्ता के उत्तर में लिए गए रुख को दोहराया, लेकिन एक भी कारण नहीं बताया कि उक्त बचाव या कारण उसके अनुकूल क्यों नहीं हैं। सीसीए नियमों के नियम 15(3), 16(1)(डी) और

16(2)(viii) के अनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष के लिए कारण बताने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है। इस प्रकार, यह न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता है, बल्कि यह शासकीय कानून, यानी सीसीए नियमों का अधिदेश भी है।

पैरा 9. आरोपित दंड आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक बड़ी राशि की वसूली की जाती है, जिसके लिए नागरिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रतिवादियों के लिए इसके लिए कारण बताना अनिवार्य था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कारणों को 'निष्कर्ष' का प्रमुख आधार माना जाता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि न्यायिक, अर्ध–न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों में, अधिकारियों को कारण बताना चाहिए। यह दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खा, 2010 9 एससीसी 496 में लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैरा 10. अपीलीय आदेश में भी वही अवैधता और खामियाँ हैं। सीसीए नियमों के नियम 27 के अनुसार, अपीलीय अधिकारी जाँच के प्रक्रियात्मक भाग, निष्कर्ष की विकृतता और दंड लगाने में आनुपातिकता की जाँच करने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ता ने 15 पृष्ठों की विस्तृत अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को इस आधार पर एक झटके में खारिज कर दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अवैध खनन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने अपील ज्ञापन में उठाए गए आधारों पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के (राम चंद्र बनाम भारत संघ और अन्य, 1986 3 एससीसी 103) और उसके बाद

इस न्यायालय द्वारा (मोहम्मद इदरीस बनाम मप्र उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जबलपुर और अन्य, 2005 2एमपीएलजे 51) दिए गए निर्णय के विपरीत है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने (अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम ए/मसीलामणि, 2013 6 एससीसी 530) में इस दृष्टिकोण का अनुसरण किया। इस प्रकार, अपीलीय आदेश भी अवैध है और इसे कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस न्यायालय की राय में, भले ही याचिकाकर्ता ने कोई त्रुटि या कदाचार किया हो, प्रतिवादी कानून के अनुसार जांच करके इसे स्थापित करने के लिए बाध्य हैं। उचित जांच किए बिना, किसी भी दंड आदेश को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त न्यायिक घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि इन न्यायिक घोषणाओं द्वारा निर्धारित अधिदेश यह है कि यदि संबंधित अधिकारी मामूली सजा देने का इरादा रखते हैं, तो भी दोषी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विशिष्ट आरोपों के उत्तर में उठाए गए प्रत्येक विषय पर विचार किया जाना चाहिए और सजा देने से पहले कारणों को निष्कर्ष के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और जिसके लिए किसी प्रकार की जांच आवश्यक हो जाती है। दोषी को दंड आदेश लागू होने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपना तर्क और स्पष्टीकरण स्थापित करने का अवसर मिलने का भी लाभ होगा। वर्तमान मामले में आरोपित आदेश अनुलग्नक पी–2 में भी इस आवश्यकता का अभाव है जो अन्यथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी से अपेक्षित है।

आरोपित आदेश अनुलग्नक पी–2 उस सीमा तक भी टिकने योग्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा डब्लूपीएस संख्या 2119–2011 में रुद्रनारायण सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के मामले में 18.08.2018 को निर्णय दिए गए मामले में भी इसी दृष्टिकोण का सहारा लिया गया है।

19. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आरोपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य होने से निरस्त किया जाता हैं। हालांकि, प्रतिवादी क्रं. 1 का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे भी कार्यवाही करना चाहते हैं, तो वे इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. तदनुसार रिट याचिका स्वीकृत की जाती है और उसका निपटारा किया जाता है।

सही/–
पी. सैम कोशी
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**